बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

सं0–8/आ0(राज0नि0)-1-100/2022–...../ श्री पंकज कुमार झा, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, नालन्दा सम्प्रति जिला अवर निबंधक, सिवान को श्रीमती रामयती कुमारी के द्वारा भूमि क्रय हेतु स्टाम्प मद में बैंक चालान के माध्यम से बैंक में जमा राशि की वापसी हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पटना के कार्यालय में समर्पित आवेदन तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी० डब्लू० जे० सी० सं०–9120/2021 में दिनांक–04.02.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना को त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०–2776 दि०–29.05.2023 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(V) के अन्तर्गत "तीन वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध" करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री पंकज कुमार झा द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी (Review petition) दिनांक–03.07.2023 को दाखिल किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त अर्जी की सुनवाई दिनांक–05.06.2025 को की गई जिसमें श्री झा उपस्थित थे। पुनर्विलोकन अर्जी के सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं पुनर्विलोकन अर्जी में उल्लेखित तथ्यों की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा के उपरांत पाया गया कि श्री झा द्वारा अपने आवेदन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। समीक्षोपरांत पाया गया कि माननीय न्यायालय से संबंधित मामला होने के बावजूद उनके द्वारा सतर्कता नहीं बरतने के कारण उनके द्वारा प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को गलत प्रतिवेदन समर्पित किया गया तथा वादी श्रीमती रामयती कुमारी को बैंक चालान से जमा राशि की वापसी में विलम्ब हुआ। उक्त के कारण वादी श्रीमती रामयती कुमारी द्वारा दायर वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश का ससमय अनुपालन नहीं हो सका तथा वादी द्वारा अवमाननावाद दायर किया गया। यह उनके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के समीक्षोपरांत श्री पंकज कुमार झा, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, नालन्दा सम्प्रति जिला अवर निबंधक, सिवान द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0–2776 दिनांक–29.05.2023 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी दिनांक–05.02.2025 स्वीकार योग्य नहीं पाया गया एवं उसे अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री पंकज कुमार झा द्वारा दाखिल पुनर्विलोकन अर्जी (Review petition) को अस्वीकृत करते हुये विभागीय अधिसूचना संख्या–2776 दिनांक–29.05.2023 द्वारा अधिरोपित तीन वार्षिक वेतनवृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध करने के दण्ड को बरकरार रखा जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0(राज0नि0)-1-100/2022–...../ पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

(5)
(12)

ज्ञापांक–8/आ0(राज0नि0)-1-100/2022–..... / पटना, दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0(राज0नि0)-1-100/2022–3318 / पटना, दिनांक–04.06.26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव संबंधित समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–05/आई0टी0 मैनेजर एवं संबंधित सहायक निबंधन महानिरीक्षक/श्री पंकज कुमार झा, जिला अवर निबंधक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/6/26

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।